न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
360 / 2019	15.11.2019	18.11..2022

//उनवान//

1 जयप्रकाश उर्फ जयदेव पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर साकिन पलावा तह0 मुण्डावर।

:— वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर, लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादी

दावा — इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितिः— श्री लालाराम यादव — वकील वादी

निर्णय **दिनांक— 18.11.2022**

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि विवादित आराजीयात ग्राम पलावा, ग्राम मिर्जापुर एवं ग्राम हरिनगर तहसील मुण्डावर जिला, अलवर में स्थित होकर पिता की फौतगी के बाद विरासत से प्राप्त हुई आराजी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में मिनवादी का नाम जयप्रकाश दर्ज हो रहा है जो नाम गलत दर्ज है जबकि मिनवादी का सही व वास्तविक नाम जयदेव है तथा मिनवादी के पहचान संबंधित सभी दस्तावेजात में भी नाम जयदेव दर्ज है। पिता की फौतगी के समय आराजी के विरासत का इन्तकाल मिनवादी के नाम दर्ज किया गया था उस समय मिनवादी नाबालिग था, जिसके नाम के बाबत किसी प्रकार की कोई जांच प्रतिवादी सं0 01 अथवा उनके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम जयप्रकाश के अंकन रहने से मिनवादी को क्रेडिट कार्ड बनवाने व अन्य आराजी संबंधी कार्यों में काफी अड़चन पैदा हो रही है का अंकन करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत के अपने गलत नाम जयप्रकाश को हजफ कराकर सही नाम जयदेव दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब सरकार पेश किया जाकर शामिल पत्रावली है मुताबिक जवाब पैरोकार बिन्दूवार वादी स्वयं सिद्ध करे अंकन करते हुये पैरा स0 06, 07, 08 का[illegible] में होकर श्रवण योग्य होना व कोर्ट फीस से संबंधित है अंकित करते हुये [illegible] न्यायालय संलग्न दस्तावेजों की जांच कर निर्णय किया जाना उचित है के बाबत का पेश[illegible] है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप इन्तकाल सं0 603 निर्णय दिनांक 28.01.2008 वाके ग्राम पलावा, नकल जमाबंदीयात सम्वत् 2069—72 वाके ग्राम पलावा, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 वाके ग्राम मिर्जापुर, नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 वाके ग्राम हरिनगर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रतियां एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र जयदेव पुत्र सुरेन्द्रसिंह एवं सुनील कुमार पुत्र सुरेन्द्रसिंह का पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात जो वाके ग्राम पलावा, मिर्जापुर एवं ग्राम हरिनगर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, में स्थित होकर वादी को अन्य वारिसान के साथ–साथ अपने पिता की फौतगी के बाद विरासत से प्राप्त हुई एवं जिस समय विरासत इन्तकाल दर्ज व स्वीकार किया गया था उस समय वादी नाबालिंग था और प्रतिवादी सं0 01 अथवा उसके अधीन कर्मचारियों द्वारा इस बाबत कोई जांच नहीं की जाकर उक्तानुसार इन्तकाल में वादी का गलत नाम जयप्रकाश दर्ज कर दिया गया जो ताहाल राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम जयप्रकाश के अंकन रहने से वादी को क्रेडिट कार्ड बनवाने व अन्य आराजी संबंधी कार्यों में काफी अड़चन पैदा हो रही है एवं वादी ने अपने वादी की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप इन्तकाल सं0 603 निर्णय दिनांक 28.01.2008 वाके ग्राम पलावा, नकल जमाबंदीयात सम्वत् 2069–72 वाके ग्राम पलावा, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 वाके ग्राम मिर्जापुर, नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 वाके ग्राम हरिनगर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रतियां एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र जयदेव पुत्र सुरेन्द्रसिंह एवं सुनील कुमार पुत्र सुरेन्द्रसिंह का पेश कर दिया है उक्त समस्त पहचान के दस्तावेजात में वादी का सही नाम जयदेव पुत्र सुरेन्द्रसिंह है अभिकथन करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत वादी के गलत नाम जयप्रकाश के अंकन को हजफ किया जाकर सही नाम जयदेव अंकित किये जाने के बाबत के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वादपत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आ0ख0नं0 302, 303, 321, 504, 540, 542, 1757, 325, 326, 697, 656, 657, 545, 546, 1272, 1273, 1280, 1281, 1285, 1719, 1239, 1240, 1241, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1588, 1569, 1570, 1152, 1164, 1165, 1166, 1167/2223, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1495, 1498, 1500, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1182, 1183, 1185, 1186, 953, 961 वाके ग्राम पलावा एव आराज[illegible]602, 603, 604, 605, 606, 754/743, 607, 609 वाके ग्राम मिर्जापुर तथा [illegible] वाके ग्राम हरिनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत [illegible] डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत [illegible] अंकित वादी के नाम जयप्रकाश को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं ज[illegible]काश के स्थान पर सही नाम जयदेव अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **18.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

18-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
360 / 2019	15.11.2019	18.11..2022

/ / उनवान / /

1 जयप्रकाश उर्फ जयदेव पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति अहीर साकिन पलावा तह0 मुण्डावर।

:– वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर, लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– प्रतिवादी

दावा – इश्तकराररहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री लालाराम यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.11.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वादी के वादपत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आ0ख0नं0 302, 303, 321, 504, 540, 542, 1757, 325, 326, 697, 656, 657, 545, 546, 1272, 1273, 1280, 1281, 1285, 1719, 1239, 1240, 1241, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1588, 1569, 1570, 1152, 1164, 1165, 1166, 1167 / 2223, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1495, 1498, 1500, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1182, 1183, 1185, 1186, 953, 961 वाके ग्राम पलावा एवं आराजी ख0नं0 602, 603, 604, 605, 606, 754 / 743, 607, 609 वाके ग्राम मिर्जापुर तथा आ0ख0नं0 610 वाके ग्राम हरिनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादी के [illegible] के आदेश दिये जाते हैं एवं जयप्रकाश के स्थान पर सही नाम जयदेव [illegible] जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] खर्चा **पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।**

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 18.11..2022 को मेरे द्वारा [illegible]ई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:57 IST
Reason: SelfAttested

18.11.2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०